

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 29/2023

दायर दिनांक: 13.06.2023

रजि० नं०-2023/81

## उनवान

1. शंकर आयु 52 वर्ष पुत्र बेजा जाति बेरवा निवासी लेचोडा तहसील श्योपुर (म०प्र०)

वादी

## बनाम

1. कमला पुत्री मूल्या जाति मेघवाल निवासी अटरू
2. काल्या पुत्र मूल्या जाति मेघवाल निवासी अटरू
3. केला पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
4. शंकरी पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
5. हुरा पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
6. गोपाल पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
7. गोरधन पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
8. गोविन्दलाल पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
9. गोविन्दी पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
10. छीतरलाल पुत्र औंकार जाति मेघवाल निवासी अटरू
11. जमनालाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी अटरू
12. जानकीलाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी अटरू
13. सुन्दर पुत्री गिरधारी जाति मेघवाल निवासी अटरू
14. नन्दलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू
15. महेन्द्रप्रताप पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू
16. बिरधीलाल पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
17. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज०।
18. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 27/07/2023

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसमें ग्राम बेडक्या की खाता संख्या 155 की ख0 नं0 476 रकबा 1.45 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.08 है0 किता 2 रकबा 1.53 है0 एवं खाता संख्या 38 ख0नं0 474 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 583/475 रकबा 0.67 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 एवं ख0नं0 474 रकबा 0.01 है0 भूमि का निर्णय दिनांक 17.07.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू से दोनों पक्षों की उपस्थिति में हिस्से अनुसार कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था जिसकी अनुपालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1452 दिनांक 26.07.2023 से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया है जिससे अभिभाषक वादी सहमत है।

अतः ग्राम बेडक्या की खाता संख्या 155 की ख0 नं0 476 रकबा 1.45 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.08 है0 किता 2 रकबा 1.53 है0 एवं खाता संख्या 38 ख0नं0 474 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 583/475 रकबा 0.67 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 एवं ख0नं0 474 रकबा 0.01 है0 भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

1. शंकर पुत्र बेजा जाति बैरवा सा. लेचोडा तहसील श्योपुर (म0प्र0) के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
155	476	0.32 है0	माल 1	1.45
	किता 1	0.32 है0	-	1.45

- II. कमला पुत्री मूल्या हिस्सा 61/940, काल्या पुत्र मूल्या हिस्सा 61/940, केला पुत्री हीरा हि0 17/940, गोपाल पुत्र हीरा हि0 17/940, शंकरी पुत्री हीरा हि हि0 17/940, हुरा पुत्री हीरा हि0 17/940, गोर्धन पुत्र हीरा हि0 17/940, गोविन्दलाल पुत्र हीरा हि0 17/940, गोविन्दी पुत्र हीरा हि0 17/940, छीतरलाल पुत्र औंकार हिस्सा 9/47, जमनालाल पुत्र गिरधारी हि0 2/47, जानकीलाल पुत्र गिरधारी हि0 2/47, सुन्दर पुत्री गिरधारी हि0 2/47, महेन्द्र प्रताप पुत्र मोहनलाल हिस्सा 9/47, नन्दलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 7/470, बिर्धीलाल पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल सा बामनहेडा का हिस्सा 41/188 के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी। छीतरलाल पुत्र औंकार का हिस्सा 9/47 एस0बी0आई0 बैंक अट्रू के पक्ष में रहन –

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
155	476 / 1	1.13 है0	माल 1	1.45
155	477	0.08 है0	माल 1	0.08
38	583 / 475	0.67 है0	चाही 2	0.67
	किता 3	1.88 है0	–	2.20

- III. कमला पुत्री मूल्या, काल्या पुत्र मूल्या हिस्सा 12/221–12/221, केला पुत्री हीरा, गोपाल पुत्र हीरा, शंकरी पुत्री हीरा, गोर्धन पुत्र हीरा, गोविन्दलाल पुत्र हीरा, गोविन्दी पुत्र हीरा, हुरा पुत्री हीरा का हिस्सा 24/1547–24/1547, छीतरलाल पुत्र औंकार हिस्सा 36/221, जमनालाल पुत्र गिरधारी, जानकीलाल पुत्र गिरधारी, सुन्दर पुत्री गिरधारी का हिस्सा 8/221–8/221, महेन्द्र प्रताप पुत्र मोहनलाल का हिस्सा 36/221, शंकर पुत्र बेजा हिस्सा 77/221 के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी –

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
38	474	0.01 है0	गै0 मु0 चाह	
	किता 1	0.01 है0	–	

तहसीलदार अट्रू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अट्रू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ० 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज०)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज०.)

प्रकरण सं० 29/2023

दायर दिनांक: 13.06.2023

रजि० नं०-2023/81

### उनवान

1. शंकर आयु 52 वर्ष पुत्र बेजा जाति बेरवा निवासी लेचोडा तहसील श्योपुर (म०प्र०)।

वादी

### बनाम

1. कमला पुत्री मूल्या जाति मेघवाल निवासी अटरू
2. काल्या पुत्र मूल्या जाति मेघवाल निवासी अटरू
3. केला पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
4. शंकरी पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
5. हुरा पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
6. गोपाल पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
7. गोरधन पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
8. गोविन्दलाल पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
9. गोविन्दी पुत्री हीरा जाति मेघवाल निवासी अटरू
10. छीतरलाल पुत्र औकार जाति मेघवाल निवासी अटरू
11. जमनालाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी अटरू
12. जानकीलाल पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी अटरू
13. सुन्दर पुत्री गिरधारी जाति मेघवाल निवासी अटरू
14. नन्दलाल पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू
15. महेन्द्रप्रताप पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू
16. बिरधीलाल पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
17. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला बारां राज०।
18. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक परोकार सरकार

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बेडक्या की खाता संख्या 155 की ख0 नं0 476 रकबा 1.45 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.08 है0 किता 2 रकबा 1.53 है0 एवं खाता संख्या 38 ख0नं0 474 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 583/475 रकबा 0.67 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.68 है0 एवं ख0नं0 474 रकबा 0.01 है0 भूमि का तहसीलदार अटरू द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:-

I. शंकर पुत्र बेजा जाति बैरवा सा. लेचोडा तहसील श्योपुर (म0प्र0) के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजी रहेगी-

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
155	476	0.32 है0	माल 1	1.45
	किता 1	0.32 है0	-	1.45

II. कमला पुत्री मूल्या हिस्सा 61/940, काल्या पुत्र मूल्या हिस्सा 61/940, केला पुत्री हीरा हि0 17/940, गोपाल पुत्र हीरा हि0 17/940, शंकरी पुत्री हीरा हि हि0 17/940, हुरा पुत्री हीरा हि0 17/940, गोर्धन पुत्र हीरा हि0 17/940, गोविन्दलाल पुत्र हीरा हि0 17/940, गोविन्दी पुत्र हीरा हि0 17/940, छीतरलाल पुत्र औंकार हिस्सा 9/47, जमनालाल पुत्र गिरधारी हि0 2/47, जानकीलाल पुत्र गिरधारी हि0 2/47, सुन्दर पुत्री गिरधारी हि0 2/47, महेन्द्र प्रताप पुत्र मोहनलाल हिस्सा 9/47, नन्दलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 7/470, बिरधीलाल पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल सा बामनहेडा का हिस्सा 41/188 के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी। छीतरलाल पुत्र औंकार का हिस्सा 9/47 एस0बी0आई0 बैंक अटरू के पक्ष में रहन -

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
155	476 / 1	1.13 है0	माल 1	1.45
155	477	0.08 है0	माल 1	0.08
38	583 / 475	0.67 है0	चाही 2	0.67
	किता 3	1.88 है0	-	2.20

III. कमला पुत्री मूल्या, काल्या पुत्र मूल्या हिस्सा 12/221-12/221, केला पुत्री हीरा, गोपाल पुत्र हीरा, शंकरी पुत्री हीरा, गोर्धन पुत्र हीरा, गोविन्दलाल पुत्र हीरा, गोविन्दी पुत्र हीरा, हुरा पुत्री हीरा का हिस्सा 24/1547-24/1547, छीतरलाल पुत्र औंकार हिस्सा 36/221, जमनालाल पुत्र गिरधारी, जानकीलाल पुत्र गिरधारी, सुन्दर पुत्री गिरधारी का हिस्सा 8/221-8/221, महेन्द्र प्रताप पुत्र मोहनलाल का हिस्सा 36/221, शंकर पुत्र बेजा हिस्सा 77/221 के हिस्से एवं स्वामित्व में निम्न आराजीयात रहेगी -

खाता संख्या	ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
38	474	0.01 है0	गै0 मु0 चाह	
	किता 1	0.01 है0	-	

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.07.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)